पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार

"2022 का फौजदारी अपील (एसजे) संख्या- 4353"

फतेहपुर थाना कांड संख्या-300, जिला गया, थाना कांड संख्या-300, वर्ष-2022 से उत्पन्न।"

==========

उमेश यादव @ उमेश प्रसाद, पिता- शंकर यादव, निवासी- गांव नोडीहा, थाना- फतेहपुर, जिला- गया।"

... ... अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. संतोष रविदास, पिता- स्वर्गीय मुन्नी रविदास, निवासी- गांव भलुआनी, थाना- फतेहपुर, जिला- गया

... ...प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थितिः

अपीलकर्ता की ओर से : श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता।
सुश्री तुलिका सिंह, अधिवक्ता।
सुश्री सुधा चंद्रा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से : सुश्री उषा कुमारी 1, विशेष लोक अभियोजक।

==========

अग्रिम जमानत और SC/ST अधिनियम का प्रभाव- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 - धारा 18 - यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। (संदर्भः विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(2012) 8 SCC 795]) (संदर्भः पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ, [(2020) 4 SCC 727]) (पैरा 7-8)

क्या अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार्य थी? - न्यायालय ने माना कि SC/ST अधिनियम की धारा 18 के तहत जमानत पर रोक इस मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि घटना का जातिगत आधार पर होने का कोई प्रमाण नहीं

था। हत्या इस कारण हुई क्योंकि मृतक को अभियुक्तों के लिए बाधा माना गया, न कि उसके SC/ST समुदाय से होने के कारण। (संदर्भ: हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य, [(2020) 10 SCC 710]) (पैरा 11 और 14)

अग्रिम जमानत पर निर्णय एवं अपराध की गंभीरता का आकलन - अभियुक्त पर 12 वर्षीय बच्चे की हत्या में भाग लेने का आरोप था। - सह-आरोपी के खिलाफ पहले ही आरोपपत्र दायर किया जा चुका था, लेकिन यह अभियुक्त फरार था। अभियुक्त के फरार होने से जांच में देरी हुई, जो अग्रिम जमानत के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आधार बना। (संदर्भ: मसूमशा हसनाशा मुसलमान बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(2000) 3 SCC 557]) (पैरा 17-18)

निष्कर्ष - याचिका स्वीकार्य थी, क्योंकि SC/ST अधिनियम की धारा 18 इस मामले में बाधा नहीं थी। लेकिन, अपराध की गंभीरता और अभियुक्त के फरार रहने के कारण अग्रिम जमानत अस्वीकार कर दी गई।

- अग्रिम जमानत अस्वीकृत। अतः अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार
मौखिक निर्णय

तिथि : 12-07-2024

इस आपराधिक अपील को अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 10.11.2022 को माननीय आई/सी विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी, गया द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जो ए.बी.पी.

संख्या 248/2022 से संबंधित है और फतेहपुर थाना कांड संख्या 300/2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया है, जिसमें अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार्य नहीं है।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूचक संतोष राम@संतोष रविदास द्वारा दिए गए लिखित रिपोर्ट से यह तथ्य उभरता है कि आरोपी शिबू यादव का एक विधवा महिला पूनम देवी के साथ अवैध संबंध था। जब पूनम देवी के ससुराल वाले वहां पहुंचे, तो उन्होंने शिबू यादव को पूनम देवी के साथ एक कमरे में देखा। इसके बाद उन्होंने कुछ ग्रामीणों को बुलाया। वहीं, आरोपी शिबू यादव ने भी अपने सह-आरोपियों, जिसका नाम मुकेश यादव, वीरेंद्र यादव, उमेश यादव, प्रमोद यादव और कमता यादव को बुलाकर लाठियों के साथ वहां से भागने की कोशिश की। घटना के समय सूचक का 12 वर्षीय बेटा सुधीर कुमार, बिटन मांझी के घर के पास खड़ा होकर यह सब देख रहा था। आरोपियों ने उसे रास्ते का रोड़ा मानकर उसके सिर पर प्रहार किया। घायल होने के बाद पीड़ित जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वव्यापी हैं। उन्हें सूचक ने दुश्मनी के कारण

फंसाया है और सूचक इस घटना का चश्मदीद गवाह भी नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि इस मामले में एससी/एसटी अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि कथित अपराध पीड़ित के अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का सदस्य होने के कारण नहीं किया गया, बल्कि पीड़ित को आरोपियों के भागने में बाधा के रूप में देखा गया, जिसके कारण यह घटना घटी।

4. हालांकि, राज्य के विशेष लोक अभियोजक ने अपीलकर्ता के जमानत के आवेदन का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि विवादित निर्णय में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत, अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अपीलकर्ता फरार है, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हो रही है। सह-आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, लेकिन अपीलकर्ता के फरार होने के कारण उसके खिलाफ जांच लंबित है।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया।

6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को आरोपित करने के संबंध में कोई गिरफ्तारी यदि की जाती है,

तो भारतीय दंड संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू नहीं होगा। इस प्रकार, यह कोई विवाद नहीं है कि जब कोई अपराध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत किया जाता है, तो आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार्य नहीं होती। हालांकि, यह प्रतिबंध केवल तभी लागू होता है जब आरोपी के खिलाफ इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की प्राइमा फेसी (प्रथम दृष्टया) स्थिति बनती हो।

7. यहां, यह उचित होगा कि हम **विलास पांडुरंग पवार बनाम राज्य महाराष्ट्र (2012) 8 SCC 795** का संदर्भ लें, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "**9.** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 एक स्पष्ट रोक लगाती है, जिससे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत याचिका का आवेदन नहीं किया जा सकता। हालांकि, अदालत पर यह जिम्मेदारी है कि वह शिकायत में की गई बातों की जांच करे और यह निर्धारित करे कि क्या SC/ST एक्ट की धारा 3(1) के तहत कोई प्राइम फैसी अपराध बनता है। दूसरे शब्दों में, यदि शिकायत में विशेष रूप से यह कहा गया हो कि जाति नाम से अपमानित या धमकी दी गई हो, तो आरोपी अग्रिम जमानत के हकदार नहीं होंगे।
>
> **10.** SC/ST एक्ट की धारा 18 और भारतीय दंड संहिता की धारा 438 को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि यह अग्रिम जमानत देने में एक

विशेष रोक बनाती है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ *SC/ST एक्ट* की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है, तो कोई भी अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि उसे यह प्राइम फैसी न लगे कि ऐसा कोई अपराध नहीं बनता। इसके अतिरिक्त, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, प्रमाण और अन्य सामग्री की जांच करने की सीमा निर्धारित होती है। अदालत को रिकॉर्ड पर मौजूद प्रमाणों की गहरी समीक्षा या विश्लेषण करने की उम्मीद नहीं की जाती। जब एक विशेष अधिनियम में उन व्यक्तियों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हों जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित हैं, और धारा 438 के तहत जमानत देने पर रोक लगाई गई हो, तो उस अधिनियम के प्रावधान को आसानी से नकारा नहीं किया जा सकता।

(जोर देकर कहा गया)

8. समान दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ (2020) 4** SCC *727* और **भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020) 4** SCC *761* में अपनाया है।

9. अब मामले की बारीकी से बात करते हुए, सवाल यह है कि क्या SC **और** ST **एक्ट** के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया इस मामले में शिकायतकर्ता, संतोष रविदास द्वारा दी गई रिपोर्ट में दर्ज आरोपों के अनुसार बनता है।

10. यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि SC और ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा लागू होने के लिए एक आवश्यक शर्त है

कि आरोपित अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ किया गया हो क्योंकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

11. यहाँ पर **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) 10 SCC 710** का हवाला देना उपयुक्त होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि SC **और** ST **(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के तहत अपराध केवल इस कारण से स्थापित नहीं होता कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है, जब तक कि शिकायतकर्ता को केवल उसके जाति के कारण अपमानित करने का इरादा न हो।

12. समान दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्राधिकरणों में व्यक्त किया है:

(i) **मासूमशा हसनशा मुसलमान बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2000) 3 एससीसी 557**

(ii) **दिनेश बनाम राजस्थान राज्य, (2006) 3 एससीसी 771**

(iii) **खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2020) 18 एससीसी 763**

13. अब, इस मामले पर वापस आते हुए, मुझे यह प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्तियों ने पीड़ित, सुदीर कुमार (जो कि बारह वर्ष का था) की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य था। दरअसल, लिखित रिपोर्ट के अनुसार, जब आरोपी व्यक्तियों ने पूनम देवी के घर से भागने का प्रयास किया, उस समय पीड़ित बच्चा घटना को बिटन मंझी के घर के पास खड़े होकर देख रहा था। आरोपी व्यक्तियों ने

उसे अपनी राह में रुकावट के रूप में देखा और उसे सिर पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत अस्पताल जाते समय हो गई।

14. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि पीड़ित की हत्या केवल इस कारण नहीं की गई कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य था, बल्कि उसे इस कारण मारा गया क्योंकि उसे एक रुकावट के रूप में देखा गया। इस प्रकार, इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कोई अपराध प्रतीत नहीं होता है।

15. इसलिए, मेरी विचारधारा में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 द्वारा प्रदान किया गया प्रतिबंध लागू नहीं होता है। अतः, विचारण न्यायालय में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार्य थी।

16. हालांकि, सवाल यह है कि क्या आरोपी, जो कि इस मामले में अपीलकर्ता है, इस मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में अग्रिम जमानत का हकदार था।

17. यहां, मुझे यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने सहआरोपियों के साथ मिलकर निर्दोष बच्चे की हत्या की है। इस प्रकार, आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है और रिकॉर्ड पर आरोप के समर्थन में पर्याप्त सामग्री है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता गिरफ्तारी से बच रहा है, जिससे जांच में देरी हो रही है।

सहआरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन अपीलकर्ता की गिरफ्तारी न होने के कारण उसकी जांच लंबित है।

18. इसलिए, अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार्य होने के बावजूद, अपराध की गंभीरता और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मैं अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए सहमत नहीं हूं।

19. इसलिए, अपील खारिज की जाती है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/एस. अली

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।